[illegible] सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा जिला–बाड़मेर

1. जाकूब पुत्र अदरीम जाति मुसलमान निवासी बुरहान का तला तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर।	विप्रार्थीगण 1. खीरू पुत्र गुलाम 2. जनी पत्नी वली 3. मंजूर पुत्र गुलाम फौत के का.मु. 3/1 करीमा पत्नी मंजूर 3/2 जुले खां पत्नी मंजूर 4. रोशन पुत्र गुलाम 5. साईदाद पुत्र गुलाम 6. सिंधल पुत्र हाजी तोगा फौत के कायम मुकाम 6/1 सिकदर पुत्र सिंधल 7. गफूर अहमद पुत्र अब्दुल हादी 8. नूर अहमद पुत्र अब्दुल हादी 9. आमद पुत्र करीम जातियान मुसलमान निवासी बुरहान का तला तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर। 10. श्रीमान सहायक अभियन्ता जो०वि०वि०नि०लि० चौहटन 11. शाखा प्रबंधक आई.सी.आई.सी.आई. शाखा बुरहान का तला 12. राज्य सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार धनाऊ।

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मु.न 180/2022

17/06/22 प्रार्थी के वकील श्री दोष मोहम्मद ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया। विप्रार्थीगण को तलबी एवं जवाब वास्ते दिनांक 04.07.2022 को पेश हो।

स्थगन प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता की बहस एवं सलंग्न दस्तावेजों के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के हक में क्यास होता है, अतः जरिये अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख तक इस कदर पाबंद किया जाता है कि वो तहसील सेड़वा के मौजा बुरहान का तला पटवार क्षेत्र बुरहान का तला तहसील धनाऊ के खेत खसरा सं. 926/358 रकबा 21.3915 हैक्ट. खसरा संख्या 420 रकबा 26.7416 हैक्ट. वादग्रस्त भूमि पर विप्रार्थीगण को उक्त भूमि का बेचान या अन्य किसी प्रकार का हस्तान्तरण नहीं करें। मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। विप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस दिवस 7 दिन में रजि.एड़ी सहित न्यायालय हाजा में आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जावे। स्थगन अहकॉम तहसीलदार सेड़वा को जारी हो। तलबी विप्रार्थीगण जरिये रजिस्टर एडी. नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 04.07.2022 को पेश हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा

04/07/22 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। स्थगन आदेश की अवधि आगामी पेशी तारीख तक बढ़ाई जाकर पत्रावली कार्यवाही दिनांक 11/10/22 को पेश हो।

21/07/22 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप[illegible] के जरिये राजीनामा [illegible] [illegible] औचित्य नहीं है दिया गया है अत: उक्त आवेदन को [illegible] पूर्व में इस आवेदन की कार्यवाही इसी स्तर पर [illegible] इस न्यायालय द्वारा जारी किया गया स्थगन आ[illegible] दिनांक 17/06/22 [illegible] निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। मूलवाद के साथ संलग्न हो।

प्रार्थी/ वा वकील [illegible]

जाकूब

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.08.27 14:30:17 IST
Reason: SelfAttested